



उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

संख्या-6/2026/जी-2-आई/1426429/2026/दस-21099/108/2020

लखनऊ : दिनांक : 10 अगस्त, 2026

विज्ञप्ति

विविध

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के नियम-11(1), कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम-11(1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेंस रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार महामहिम राज्यपाल घोषित करती हैं कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेंस फण्ड के अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर दिनांक 01 जुलाई, 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक 7.1 प्रतिशत (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर दिनांक 01 जुलाई, 2026 से लागू होगी।

भवदीय,  
दीपक कुमार  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति को सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर दें।

आज्ञा से,  
अनुराग गुप्ता  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

- 1- महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 4- निदेशक, वित्तीय प्रबन्धन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 30 प्र०, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,  
अनुराग गुप्ता  
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।